



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय:- मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

क्रमांक :- सी.बी.एस./मु.प्र./वित्त/केन्टिन/26/1559

दिनांक:- 01-09-26

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर पर स्थित केन्टीन/स्टाल/रिक्त स्थान हेतु अस्थाई रूप से लाईसेंसी नियुक्त किये जाने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

क्र. सं.	प्लेटफार्म नम्बर	स्टाल नं.	स्टाल प्रकृति	साईज वर्ग फीट	RISL प्रोसेसिंग फीस	निविदा शुल्क (जीएस टी सहित)	बोली प्रतिभूति राशि	अनुमानित वार्षिक आय, जी.एस. टी. अतिरिक्त
1	03	318	रेडिमेड होजरी आईटम एवं सीजनेवल आईटम	10X12	500	236	50000	13,54,000

RISL प्रोसेसिंग फीस हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **MANAGING DIRECTOR RISL** के नाम देय होंगे। बोलीप्रतिभूति राशि एवं निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **CM RSRTC CBS JAIPUR** के नाम से देय होंगे। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की छाया प्रतिलिपि (**Scanned Copy**) ई-बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं समस्त दस्तावेज जो कि ई-बोली निविदा में अपलोड किये गये हैं की प्रतिलिपि दिनांक 13.10.2026 को 12:00 बजे तक कार्यालय में पहुच जाने चाहिये, तकनीकी बोली दिनांक 13.10.2026 को ही 13:00 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार है।

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	समय	स्थान
01	बोली दस्तावेज डाउनलोड करना	01.10.2026	18:00	
02	प्री-बिड मितिंग	05.10.2026	14:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
03	ई-बोली प्रारम्भ	06.10.2026	14:00	
04	ई-बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	12.10.2026	17:00	
05	मूल बोली दस्तावेज को मुख्य प्रबन्धक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	13.10.2026	12:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
06	तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि	13.10.2026	13:00	

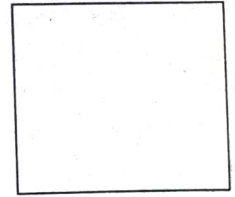
विस्तृत बोली दस्तावेज उपापन पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.rajasthan.gov.in> और निगम वेबसाइट <https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> से डाउनलोड किये जा सकते हैं भविष्य में सभी अपडेट इन्ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अतः इच्छुक बोलीदाता को इन वेबसाइट को निरंतर विजिट करने की सलाह दी जाती है। निविदा को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।


मुख्य प्रबन्धक
सी.बी.एस आगार, जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर केन्टीन/स्टॉल,रिक्त स्थान आवंटन हेतु अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

तकनीकी बिड-प्रपत्र



कंपनी की दशा में
फोटो अनिवार्य नहीं

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:-	
02	चाही गई केन्टीन/स्टाल/रिक्त स्थान संख्या		
	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
03	कार्यालय	:-	
	निवास	:-	
04	टेलेक्स/फैक्स नम्बर	:-	
05	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:-	
06	धरोहर राशि	:-	
07	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर	:-	
	दिनांक	:-	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।		
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैंक में खाता नम्बर	:-	
10	अन्य आवश्यक विवरण:- पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।	:-	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

निविदा-शर्तें

स्टाल आवंटन/संचालन की निविदा शर्तें निम्न हैं:-

1. निगम परिसर में दुकान/स्टॉल/बूथ/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवाये रहने पर लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृत्ति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टॉलों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टॉलों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टॉलों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टॉल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स पर दुकान/स्टॉल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को पांच सौ रुपये के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
3. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टॉल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नहीं किया जायेगा:-
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि/- रुपये (अक्षरे रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा ही मान्य होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैंकर्स चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. आवंटन के पश्चात सफल निविदादाता को आवंटन पत्र में निर्धारित समयावधि में सुरक्षा राशि, अनुबन्ध पत्र एवं 12 माह के अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक इस कार्यालय में जमा करवायेंगे अन्यथा संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी साथ ही आवंटन निरस्त कर जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात स्वयं के खर्च पर आवंटित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नहीं किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
7. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घण्टे के भीतर स्वयं के खर्च पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।
8. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस एवं जी.एस.टी. के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को देय होंगे, देगा। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक किराया राशि (लाईसेन्स फीस जी.एस.टी. सहित) निगम कोष में अनिवार्य रूप से जमा/प्राप्त होनी चाहिये, नियत तिथि 07 तारीख तक निगम कोष में जमा/सुनिश्चित नहीं कराने पर किराया राशि (लाईसेन्स फीस जी.एस.टी. सहित) जमा नहीं करवाने पर माह प्रथम दिनांक से प्रतिदिन 50/- रुपये अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।
9. अनुबन्ध प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। अग्रिम वर्ष अनुबन्ध नवीनीकरण हेतु लाईसेन्सी द्वारा तीन माह पूर्व सहमति पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तदपश्चात दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायायिक एवं लाईसेंस शुल्क एवं जीएसटी राशि बकाया न होने एवं सन्तोषजनक सेवाये रहने पर एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात् पूर्व लाईसेंस फीस में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुये अगले अग्रिम वर्ष के

- लिये नवीनीकरण किया जावेगा। अतः लाईसेन्सी द्वारा तीन माह पूर्व सहमति पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
10. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
 11. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा। आवंटित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर कब्जा/अतिक्रमण करता हुआ पाये जाने पर आवंटित लाईसेंस फीस/स्थान के आधार पर गणना करते हुये राशि वसूल की जायेगी।
 12. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
 13. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 14. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
 15. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
 16. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
 17. लाईसेन्सी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर जमा राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
 18. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय-समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा।
 19. दुकान/स्टाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।
 20. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
 21. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
 22. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
 1. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति)
 2. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/- रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा।
 यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
 23. ई-निविदा ऑनलाईन आवेदन की किये जाने के पश्चात समस्त संबन्धित समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि एवं डी.डी. सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।
 24. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
 25. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
 26. संलग्न धोषणा-पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
 27. निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृति करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
 28. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

29. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
 30. फर्म/व्यक्ति जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस साथ ही जीएसटी राशि का भुगतान संचालन प्रारम्भ दिनांक से माना जायेगा तथा तदपश्चात लाईसेन्सधारी द्वारा निगम नियमानुसार किराया राशि (लाईसेंस फीस एवं जी.एस.टी.) राशि नियमित रूप से निगम कोष में जमा करानी होगी।
 31. सिन्धी कैम्प परिसर में निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
 32. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।
 33. जी.एस.टी. इनपुट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
 34. निविदादाता द्वारा ई-निविदा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज को कार्यालय में जमा करवाये जाने वाले लिफाफे पर कम संख्या केन्टीन/स्टाल आदि का नाम/स्थान एवं निविदादाता का नाम/पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- मैंने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये हैं उक्त शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

35. **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
36. Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

घोषणा-पत्र

- निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
1. मैं/हम निगम कोष में जमा डी.डी.संख्या/ बैंकर्स चैक संख्या दिनांक
..... राशि रुपये जो कि CM RSRTC CBS
JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे हैं/कर दिया है।
 2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
 3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव किये हैं उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नहीं दिये गये हैं।

दिनांक :-

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।